निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 06/2019
दायरा दिनांकः—21.09.2019
निर्णय दिनांकः— 30.10.24

उनवान

1. कृष्णागोपाल आयु 47 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण
2. ममता बाई आयु 43 वर्ष पत्नि कृष्णागोपाल जाति ब्राहम्ण
3. मोहनलाल आयु 67 वर्ष पुत्र प्रीतमलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण भीलवाडा उचां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कालुराम आयु 55 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा
2. भगवानलाल आयु 26 वर्ष पुत्र कालुराम जाति मीणा
3. गिर्राज आयु 20 वर्ष पुत्र कालुराम जाति मीणा निवासीगण ग्राम भीलवाडा उचां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 30.10.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश कुमार सोनी — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमियात वाके माल भीलवाडा उंचा तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 319 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 319/1 रकबा 02 बीघा 11 बिल्वा, खसरा नंबर 319/2 रकबा 08 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 04 बीधा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमियात से लगवां वादीगण की अन्य कृषि भूमियात खसरा नंबर 320. 226 स्थित है, खसरा नंबर 319 की भूमियात के उत्तर दिशा में खसरा नंबर 233 की भूमियात सरकारी स्थित है. जो गैर मुमकिन पठार के रूप में दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड है। इसमें से राजस्थान सरकार द्वारा 06 बीघा भूमि रा० उ०प्रा०वि० भीलवाड़ा उंचा को आदेश दिनांक 23.04.2002 के अनुसार इतकाल नंबर 642 द्वारा दी गई है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के लड़ाकू—झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। जिन्होंने जबरन ताकत के बल पर सरकारी जमीन खसरा नंबर 233 पर जबरन कब्जा कर लिया और प्रार्थी की भूमियात, जो इसके लगवां खसरा नंबर 319 स्थित है, पर भी जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हैं। प्रार्थीगण का खेतों में आने—जाने का रास्ता खसरा नंबर 233 में होकर हमेशा से चला आ रहा है। उसे भी अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करके बन्द करने पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आमादा है। प्रार्थीगण के मना करने पर जबरन लठ व ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है। उक्त लोगों ने प्रार्थीगण के परिवार के साथ इसी बात पर झगड़ा भी किया था। जिसका मुकदमा प्रार्थी ने दर्ज कराया था, प्रार्थीगण को एससी–एसटी के प्रकरण में झूठा फंसाने धमकी देते हैं। प्रार्थीगण ने अपनी भूमियात की पैमाइश कराकर पत्थरगढ़ी कराई थी। जिसे भी अप्रार्थीगण ने सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है ताकि अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमियात पर जबरन कब्जा कर सके। खसरा नंबर 233 की भूमियात सरकारी है, जिस पर से अतिक्रमण हटाने का दायित्व अप्रार्थी कम 4 का है, प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब से भी कई बार निवेदन किया। किंतु उन्होंने भी अप्रार्थीगण का अतिक्रमण हटाने का कोई प्रयास नहीं किया। प्रार्थीगण ने श्रीमान को भी प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान ने अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार साहब के नाम लिखा। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मजबूरीवश प्रार्थीगण के पास अब वाद पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण ने यह वाद अतिक्रमण हटाने व प्रार्थीगण की भूमियात पर कब्जा ना करने व प्रार्थीगण का रास्ता नाप रोकने हेतु यह वाद / प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान में रास्ते की भूमि खसरा नंबर 233, 319, 320 के पश्चिमी तरफ होकर स्थित है। जिस पर होकर प्रार्थीगण व अन्य व्यक्ति आते जाते हैं। जिसे अप्रार्थीगण पत्थर का कोट करके बन्द करने पर आमादा है। प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नंबर 319 पर पूर्वी तरफ व पश्चिमी तरफ पत्थर का कोट बनाना चाहता है। जिसके पत्थर भी पड़े हुए हैं। प्रार्थीगण पत्थर का कोट बनाने लगे तो अप्रार्थीगण ने झगडा किया और कोट करने से मना कर दिया। इसलिए यह वाद/प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा उचां सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 141 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा उचां सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 22 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा उचां सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 129 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम भीलवाडा उचां सम्वत् 2072 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा उचां सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 1 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा उचां सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 142 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा उचां तहसील छबडा में स्थित है। उक्त भूमि के लगवा प्रार्थीगण की अन्य कृषि भूमि है खसरा नम्बर 319 की भूमि के उत्तर में खसरा नम्बर 233 की भूमि सरकारी है जो गैर मुमकिन पठार दर्ज है जिसमें से 6 बीघा भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आवंटन की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा जबरन ताकत के बल पर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 233 पर जबरन कब्जा कर लिया तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 319 पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करतें है। प्रार्थी के खेतों पर आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 233 में होकर है जो हमेशा से निकले चले आ रहे है अप्रार्थी उक्त रास्तेपर जबरन कब्जा कर बन्द करना चाहतें है मना करने पर SC/ST के प्रकरण में फसाने की धमकी दी गई। प्रार्थी द्वारा भूमि की पैमाईश कराकर पत्थर गढी करवाई थी अप्रार्थीगण ने सीमा चिन्हों को भी नष्ट कर दिया है प्रार्थी पत्थर का कोट करने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

गे तो अप्रार्थीगण ने पत्थर का कोर्ट नही करने दिया। अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे। कि खसरा नम्बर 233 219 की भूमि पर अतिक्रमण नही करे। तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकान बना रखे है प्रार्थीगण के मकान के पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी क्रम 1 ने सरकारी भूमि पर खलियान डाल रखा है खलियान की भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के आधिपत्य में लगभग 20 वर्षो से अधिक समय से चली आ रही है तथा पेड और पौधे भी लगा रखे है प्रार्थीगण ST जाति का गरीब व्यक्ति है प्रार्थीगण गरीबी और कमजोरी का फायदा उठा कर अप्रार्थी क्रम 1 खलियान की भूमि पर कब्जा करना चाहतें है जिनका कोई कानूनी अधिकार नही है प्रार्थीगण ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है प्रकरण रास्त से भी सम्बन्धित है जिसका क्षैत्राधिकार का नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा उचां सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 141 मोहनलाल पुत्र प्रीतमलाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा उचां सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 22 में अंकित खसरा नम्बर 319/1 रकबा 2.11 बीघा कृष्णागोपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा उचां सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 129 के खसरा नम्बर 319/2 रकबा 08 बिस्वा ममताबाई पत्नि कृष्णगोपाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज है नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072 में खसरा नम्बर 227 रकबा 2.06 बीघा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा उचां सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 230 रकबा 7.11 एवं खसरा नम्बर 233 रकबा 3.00 बीघा गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि खसरा नम्बर 227 गैर मुमकिन रास्ता है तथा खसरा नम्बर 233 की भूमि गैर मुमकिन आबादी व विद्यालय के नाम दर्ज है 1 बीघा भूमि पर रामनारायण पुत्र शंकरलाल का कब्जा काश्त है शेष भूमि गैर मुमकिन पठार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार यह साबित होता है कि प्रार्थी का खसरा नम्बर 319 है जिसके लगवा खसरा नम्बर 227 गैर मुमकिन रास्ता है तथा खसरा नम्बर 233 सरकारी भूमि है प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 के तहत खसरा नम्बर 319 के पश्चिम तरफ के रास्ते में होकर आने जाने मे बाधा कारित नही करने का अनुतोष चाहा गया है चुकि वह खसरा नम्बर 227 गैर मुमकिन रास्ता उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया पश्चिमी सीमा में रास्ते का अनुतोष (सरकारी भूमि से रास्ते) दिया जाना उचित नही है। अतिक्रमण हटाना एक पृथक प्रकिया है इसके अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 शामिल नही किया जा सकता है। इसके लिये प्रार्थी/तहसीलदार पृथक से कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अर्थात् इस प्रकरण में प्रार्थी केवल अपने हिस्से खसरा नम्बर 319 में दखलअन्दाजी ना करने तक ही अनुतोष पाने का हकदार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा उचा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 319 रकबा 4.16 बीघा में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी ना करे। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करे नही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा